भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.918 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

पत्तन न्यास

†918. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में पत्तन न्यासों की सूची, उनका वार्षिक कारोबार तथा उनसे सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास आगामी पांच वर्षों के दौरान नए पत्तन न्यास स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर आंध्र प्रदेश और बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में वर्ष-वार/ राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्पूर्ण भारत में उन लघु पत्तनों की सूची का ब्यौरा क्या है जो राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े नहीं हैं;

(घ) क्या सरकार के पास सम्पूर्ण देश में उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर आंध्र प्रदेश के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है,;

(ङ) सम्पूर्ण देश में प्रत्येक मत्स्य संग्रहण बंदरगाह से उत्पन्न वार्षिक कारोबार और रोजगार के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार के पास आगामी पांच वर्षों में सम्पूर्ण भारत में कोई नया केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश और बापतला निर्वाचन क्षेत्र में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अनुसार, महापत्तन न्यासों को महापत्तन प्राधिकरणों में परिवर्तित कर दिया गया है। देश में महापत्तन प्राधिकरणों की सूची, वित्त वर्ष 2023-24 के कुल आय और कर्मचारियों की संख्या अनुबंध-I में दी गई है। महाराष्ट्र में वधावन पत्तनतथा अंडमान और

निकोबार द्वीप समूह में गैलाथिया खाड़ीपत्तन को क्रमशः 19 फरवरी, 2019 और 4 सितंबर, 2024 को नए महापत्तनों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ग):एक्जिम कार्गो की हैंडलिंग करने वाले 66 गैर-महापत्तन हैं,जिनमें से 13 रेल मार्ग से जुड़े हैं और24 को 4 लेन की सड़क/राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा गया है।

(घ):डीपीआईआईटी द्वारा वर्ष 2022 में एक व्यापक पत्तन संपर्कता योजना (सीपीसीपी) तैयार की गई है। सीपीसीपी के अंतर्गत 100 से ज्यादा नई संपर्कता अवसंरचना कमियों को चिन्हित किया गया है। सीपीसीपी के अंतर्गत चिन्हित की गई पत्तन रेल और सड़क अवसंरचना कमियों की राज्य-वार संख्याआंध्र प्रदेश राज्य सहित अनुबंध-IIमें दी गई है।

(ङ):सागरमाला योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा मत्स्यनपालन विभाग, भारत सरकार के साथ कार्यान्वियन के अभिसरण मोड में 25 मत्स्यन बंदरगाह परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 620 करोड़ रु. मूल्य की 09 मत्स्यन बंदरगाह परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे 30,000 मछुआरों को लाभ हुआ है।

(च):आंध्र प्रदेश राज्य में 170 करोड़ रु. के सागरमाला वित्तपोषण के साथ 1,289 करोड़ रु. की लागत पर 04 मत्स्यन बंदरगाह परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इनके स्थान निम्नानुसार हैं:-

1) बुडुगाटलापलेम
2) कोथापट्टणम
3) पुदिमदका
4) विशाखापट्टणम

अनुबंध - I

महापत्तन प्राधिकरण,कुल आय और कर्मचारियों की कुल संख्या

क्र. सं.	पत्तन का नाम	वित्त वर्ष 2023-24के लिए कुल आय (करोड़ रु. में)	कर्मचारियों की कुल संख्या
1	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण	3319.92	2027
2	पारादीप पत्तन प्राधिकरण	2538.83	475
3	विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण	2167.54	2413
4	चेन्नै पत्तन प्राधिकरण	1360.56	2461
5	वी. ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण	1079.13	307
6	कोचिन पत्तन प्राधिकरण	945.14	869
7	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण	965.22	278
8	मुरगांव पत्तन प्राधिकरण	585.13	946
9	मुंबई पत्तन प्राधिकरण	2578.88	2726
10	जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण	3108.11	587
11	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण	2744.21	1159

<u>अनुबंध – II</u>

पत्तन रेल और सड़क अवसंरचना कमियों की राज्य-वार संख्या

राज्य	अवसंरचना कमियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	14
गुजरात	19
कर्नाटक	19
केरल	5
महाराष्ट्र	31
ओडिशा	8
तमिलनाडु	7
पश्चिम बंगाल	4

*****